



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237760
CG-DL-E-30072022-237760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3364]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3529(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का.आ. सं. 3343(अ) दिनांक:16-08-2021, की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के एन टी आर जिले में NH-163G के कि.मी. 255.414 से कि.मी. 257.277 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "साक्षी (तेलुगु)" को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेज़ी)" और "25-08-2021" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एन टी आर जिले में खम्मम-विजयवाड़ा ग्री नफी ल्ड NH-163G के कि.मी. 255.414 से कि.मी. 257.277 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: एनटीआर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गमपालगुडेम				
	गांव का नाम: तूनीकिपादु				
1	115	निजी	ड्राई	0.0849839	विनुकोंडा हिमावती (115/2)
2	115	निजी	ड्राई	0.3399359	मुचितला अनसूया (115/2)
3	115	निजी	ड्राई	0.3156548	वसीरेडु अरुणा (115/2)
4	116/1	निजी	ड्राई	0.4208731	पतिबंदला वसन्ता कुमारी (116/1बी)
5	116/2A	निजी	ड्राई	0.0930777	पुटुंबक हनुमंतराव (116/2ए2)
6	119/1	निजी	ड्राई	0.0687965	मुचितला कृष्ण (119/1बी)
7	119/1	निजी	ड्राई	0.3116079	मुचितला नरसिंहराव (119/1बी)
8	119/1	निजी	ड्राई	0.2063897	धरणीकोटा नागेश्वरराव (119/बी)
9	119/1	निजी	ड्राई	0.1821085	बत्तिनेनी कृष्ण (119/1बी)
10	119/1	निजी	ड्राई	0.1294994	मुचितला वेंकटेश्वरु (119/1बी)
11	119/3	निजी	ड्राई	0.0080937	बोगिनबोयिना वीरस्वामी (119/3बी)
12	120/1	निजी	ड्राई	0.0242811	चंद्रगिरि एंस्आरए लक्ष्मी (120/1बी)
13	120/2	निजी	ड्राई	0.0080937	मैरी श्रीनिवासराम (120/2बी)
14	120/2	निजी	ड्राई	0.0566559	अंगदल बसावा नारायण

					(120/2बी)
15	121/2	निजी	ड्राई	0.0526091	जोनबोइना रमा कृष्ण (121/2बी)
16	155	निजी	ड्राई	0.0242811	चिरा कुमारी (155/2)
17	155	निजी	ड्राई	0.1618743	चिरा रमा कृष्ण (155/2)
18	155	निजी	ड्राई	0.1821085	चिरा रुक्मिणी (155/2)
19	155	निजी	ड्राई	0.3237485	चिरा रमा लक्ष्मी (155/2)
20	155	निजी	ड्राई	0.0364217	चिरा रामदेवी (155/2)
21	156	निजी	ड्राई	0.0283279	चिरा रुक्मिणी (156/2)
22	156	निजी	ड्राई	0.1294994	चिरा रामकृष्ण (156/2)
23	156	निजी	ड्राई	0.0566559	चिरा कुमारी (156/2)
24	176/1C	निजी	ड्राई	0.0283279	सूर्यदेवर द्वारका (176/1सी2)
25	176/2	निजी	ड्राई	0.3965919	सूर्यदेवर वीरभद्रम (176/2बी)
			कुल	3.670498	

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPA/LA/3a(2)/2019/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2022

S. O. 3529(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3343(E),dt:16-08-2021 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-163G on the stretch of land from Km 255.414 to Km 257.277 in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “SAKSHI(Telugu)” and “THE TIMES OF INDIA (ENGLISH)” both dated 25-08-2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act

And whereas no objections have been received in the matter;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure on laning of Greenfield alignment
Four laning from Khammam to Vijayawada section NH-163G for the stretch from Km 255.414 to Km 257.277 in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH District: NTR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gampalagudem				
	Village: Tunikipadu.				
1	115	Private	Dry	0.0849839	VINUKONDA HYMAVATHI 115/2
2	115	Private	Dry	0.3399359	MUCHINTALA ANASUYA 115/2
3	115	Private	Dry	0.3156548	VASIREDDY ARUNA 115/2
4	116/1	Private	Dry	0.4208731	PATIBANDLA VASANTHA KUMARI 116/1B
5	116/2A	Private	Dry	0.0930777	PUTHUMBAKA HANUMANTHARAO 116/2A2
6	119/1	Private	Dry	0.0687965	MUCHINTALA KRISHNA 119/1B
7	119/1	Private	Dry	0.3116079	MUCHINTALA NARASIMHARAO 119/1B
8	119/1	Private	Dry	0.2063897	DHARANIKOTA NAGESWARARAO 119/1B
9	119/1	Private	Dry	0.1821085	BATTINENI KRISHNA 119/1B
10	119/1	Private	Dry	0.1294994	MUCHINTALA VENKATESWARULU 119/1B
11	119/3	Private	Dry	0.0080937	BOGINABOYINA VEERASWAMI 119/3B

12	120/1	Private	Dry	0.0242811	CHANDRAGIRI SRI LAKSHMI 120/1B
13	120/2	Private	Dry	0.0080937	MARRI SRINIVASARAO 120/2B
14	120/2	Private	Dry	0.0566559	ANGADALA BASAVA NARAYANA 120/2B
15	121/2	Private	Dry	0.0526091	JONEBOYINA RAMA KRISHNA 121/2B
16	155	Private	Dry	0.0242811	CHIRRA KUMARI 155/2
17	155	Private	Dry	0.1618743	CHIRRA RAMA KRISHNA 155/2
18	155	Private	Dry	0.1821085	CHIRRA RUKMINI 155/2
19	155	Private	Dry	0.3237485	CHIRRA RAMA LAKSHMI 155/2
20	155	Private	Dry	0.0364217	CHIRRA RAMADEVI 155/2
21	156	Private	Dry	0.0283279	CHIRRA RUKMINI 156/2
22	156	Private	Dry	0.1294994	CHIRRA RAMAKRISHNA 156/2
23	156	Private	Dry	0.0566559	CHIRRA KUMARI 156/2
24	176/1C	Private	Dry	0.0283279	SURYADEVARA DWARAKA 176/1C2
25	176/2	Private	Dry	0.3965919	SURYADEVARA VEERABHADRAM 176/2B
			TOTAL	3.670498	

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPA/LA/3a(2)/2019/3D]

RAJESH GUPTA, Director